न्यायमूर्ति ए. पी. चौधरी और न्यायमूर्ति एन. के. कपूर के समक्ष

.

हरियाणा राज्य - *याचिकाकर्ता,*

बनाम

राजिंदर सिंह, - *प्रतिवादी।*

आपराधिक अपील सं. 1985 का 961-ओबीए

23 जुलाई, 1991

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का II) - धारा 167 (5) - *आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1981*- धारा 12-एए (1) (ए) और *(एफ)- हरियाणा खाद्यान्न डीलर लाइसेंसिंग और मूल्य नियंत्रण आदेश,* 1978- धारा 3 - धारा 3 के *प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए आरोपी गिरफ्तार।* जांच *छह महीने के भीतर पूरी* नहीं हुई - जांच के लिए *समय बढ़ाने के लिए* अदालत से कोई अनुमति नहीं मांगी गई - ऐसी अवधि के बाद चालान लगाया गया - धारा 167 (5) *के तहत कोई संज्ञेय नहीं* है - *आरोपी को आरोप मुक्त किया जा सकता है - अपराध संक्षेप में सुनवाई योग्य है।*

यह माना गया कि जांच अधिकारी का दायित्व है कि वहदंड प्रक्रिया

संहिता की धारा 167 (5) के तहत परिकल्पित जांच के लिए समय बढ़ाने के लिए न्यायालय की विशेष अनुमति मांगे। इस मामले में जांच छह महीने की अवधि के बाद भी जारी रही और इस अवधि के बाद अदालत की विशेष अनुमति के बिना चालान अदालत में डाल दिया गया। धारा 167 (5) के तहत आवश्यक। इसलिए, न्यायालय द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।

(पैरा 2 &)5

यह माना गया है कि आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1981 की धारा 12-एए (ए) (ए) में कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत सभी अपराधों की सुनवाई केवल उस क्षेत्र के लिए गठित विशेष अदालत द्वारा की जाएगी जिसमें अपराध किया गया है। धारा 12एए (1) (एफ) में आगे प्रावधान है कि इस अधिनियम के तहत सभी अपराधों का मुकदमा सारांश तरीके से चलाया जाएगा आसानी है, इस प्रकार,दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (5) के प्रावधानों के तहत समन मामले के रूप में सुनवाई योग्य है।

(**पैरा** 4)

श्री एन. के. जैन, सत्र न्यायाधीश, नरूला के न्यायालय के आदेश से अपील। दिनांक 15 *अक्टूबर,* 1984 को *अभियुक्त को आरोपमुक्त करते हुए।*

आवश्यक संहिता अधिनियम की धारा 7/10/55 के तहत आरोप।

आदेश:- निर्वहन।

ई.सी. *केस नं.* 4 1984।

अपील के आधार पर प्रार्थना की गई है कि अपील को स्वीकार किया जाए और आरोपमुक्त करने के आदेश को रद्द कर दिया जाए और अभियुक्त को आवश्यक वस्तुअधिनियम की धारा के *तहत मुकदमे का सामना करने* का निर्देश दिया जाए।

हरियाणा की ओर से ए.जी. आर.एस.राय, एडवोकेट।

प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट हरि एम इट्टल और एडवोकेट परबोध मित्तल *ने पैरवी की।*

<u>निर्णय</u>

न्यायमूर्ति एन. के. कपूर,

(1) हरियाणा कूडग्रेन डीलर्स लाइसेंसिंग एंड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, 1978 की धारा 3 के तहत कथित □ पराध के संबंध में आरोपी को आरोपमुक्त करने का आदेश धारा 167 (5) के प्रावधानों का पालन न करने के कारण दिया गया है।

(2) संक्षेप में कहा जाए तो एसएचओ पुलिस स्टेशन नांगल चौधरी द्वारा चालान इस आशय का रखा गया था कि आरोपी के पास बिक्री के लिए 23 क्विंटल 50

किलोग्राम चावल था और वह हरियाणा खाद्यान्न डीलर लाइसेंसिंग और मूल्य नियंत्रण आदेश की धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इसे हरियाणा से राजस्थान ले जा रहा था। आरोपी को 21 जनवरी, 1984 को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में जांच छह महीने की ☒ वधि के बाद भी जारी रही और दंडप्रक्रिया संहिता की धारा 167 (5) के तहत आवश्यक विशेष ☒ नुमति प्राप्त किए बिना 27 जुलाई, 1984 को ☒ दालत में चालान पेश किया गया।

(3) ☒ भियुक्त के वकील द्वारा इस आशय की आपत्ति की गई थी कि, छह महीने की ☒ वधि की समाप्ति के बाद ☒ दालत में चालान पेश किया गया है, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (5) के ☒ निवार्य प्रावधानों के मद्देनजर न्यायालय द्वारा संज्ञान में नहीं लिया जा सकता है। वकील ने राज सिंह बनाम *राज्य (दिल्ली प्रशासन)*[1], और *राम बृक्ष जादाब बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य*[2] के रूप में रिपोर्ट किए गए न्यायिक फैसलों पर भरोसा किया आरोपी की इस आपत्ति को ट्रायल कोर्ट द्वारा स्वीकार कर लिया गया था जिससे आरोपी को आरोपमुक्त कर दिया गया।

(4) ☒ ब, हमारे समक्ष भी राज्य की ओर से पेश वकील द्वारा लगभग इसी तरह का मुद्दा उठाया गया है, ☒ र्थात्, यह कि यह मामला समन मामले के रूप में सुनवाई

[1] 1984 चंडीगढ़ आपराधिक मामले 274.

[2] 1984 लॉ जर्नल 39.

योग्य नहीं है और इस प्रकार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (5) के प्रावधान वर्तमान मामले के तथ्यों से आकर्षित नहीं होते हैं। यह तर्क पूरी तरह से बिना किसी योग्यता के है। आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान) ☒ धिनियम, 1981 की धारा 12एए (1) (ए) में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि इस अधिनियम के तहत सभी अपराधों की सुनवाई केवल उस विशेष न्यायालय द्वारा की जाएगी, जो उस क्षेत्र के लिए गठित है जिसमें अपराध किया गया है। । धारा 12एए (1) (एफ) में आगे प्रावधान है कि इस ☒ धिनियम के तहत सभी ☒ पराधों की सुनवाई सारांश तरीके से की जाएगी।

(5) इस मामले के संदर्भ में, यह जांच ☒ धिकारी का दायित्व था कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (5) के तहत परिकल्पित जांच के लिए न्यायालय की विशेष ☒ नुमति प्राप्त करे या समय का विस्तार करे। जाहिर है, जांच ☒ धिकारी द्वारा कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था जिसमें जांच के लिए समय सीमा को 10 महीने से आगे बढ़ाने का मामला बनाया गया हो। इस प्रकार, 15 ☒ क्टूबर, 1984 को नारनौल के सत्र न्यायाधीश के आक्षेपित आदेश में कोई खामी नहीं पाते हुए, हम ☒ पील को बिना किसी मेरिट के खारिज करते हैं।

आर.एन.आर.

(पूर्ण बेंच)

न्यायमूर्ति ए. एल. बहरी, न्यायमूर्ति *ए. पी. चौधरी और न्यायमूर्ति जे. बी. गर्ग के समक्ष,*

पंजाब राज्य,- ☒ पीलकर्ता,

बनाम

रमेश कुमार, -*उत्तरदाता।*

आपराधिक ☒ पील सं. 1986 *का 44-डीबीए*।

22 जनवरी, 1992।

खाद्य ☒ पमिश्रण निवारण ☒ धिनियम, 1954 - & , 2 (1) (क), 7, 16 - *दंड*

प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 2 (डी), 190 - मिलावटी दूध बेचने के लिए आरोपी के *खिलाफ की गई* शिकायत - शिकायत में यह आरोप नहीं लगाया गया है कि जांच के लिए नमूना लेने से पहले दूध को हिलाया गया था - *चूक, राज्य के लिए - शिकायत खारिज करने योग्य नहीं* है - *इस तरह की शिकायत पर तथ्य बताते हैं कि ट्रायल कोर्ट ऐसी शिकायत का* संज्ञान ले सकता है।

यह माना गया कि यदि शिकायत में आरोप लगाए गए तथ्यों से पता चलता है कि नमूना आरोपी से खरीदा गया था, जो विश्लेषण में निर्धारित मानक के ⊠ नुसार नहीं पाया गया था और खाद्य ⊠ पमिश्रण निवारण ⊠ धिनियम की धारा 7 के साथ धारा 16 के तहत आरोपी के खिलाफ ⊠ पराध यानी मिलावटी दूध की बिक्री के लिए कार्रवाई करने का ⊠ नुरोध किया गया था। 1954 में, ⊠ दालत इस तरह की शिकायत का संज्ञान ले सकती थी, भले ही यह तथ्य कि "नमूना लेने से पहले दूध में हड़कंप मच गया था" शिकायत में उल्लेख नहीं किया गया है।

(पैरा 12)

(इस मामले को माननीय न्यायमूर्ति जेबी गर्ग और माननीय न्यायमूर्ति ए. पी. चौधरी द्वारा 9 ⊠ गस्त, 1991 को पूर्ण पीठ को एक *महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए* भेजा गया था।)

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धांत रॉयल
प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
जगाधरी, हरियाणा

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा (1992)2